Signature of Parties or Pleaders where necessary

(6)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.**

Case No. 1018/2022
Summary No. 451/2022

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ----- अभियोगी

बनाम

मांगीलाल पिता बापुलाल डांगी ----- अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 18.10.2022 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त मांगीलाल पिता बापुलाल डांगी, आयु– 32 साल, निवासी– नापाखेड़ा, थाना– नारायणगढ़, तहसील– मल्हारगढ़, जिला– मंदसौर म. प्र. के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टयां निर्मित कर पढ़कर सुनाता समझाता हूं कि :–

01– आपने दिनांक 15.10.2022 को समय 18:00 से 18:30 बजे के दरमियान आप ग्राम टकरावद–नापाखेड़ा के बीच क्षेत्र अंतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने ढ़ाबे पर कुछ लोगों को बैठाकर शराब पिलाते पाये गये, जो कि धारा **36–क** म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाकः–

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है किः–

अपराध स्वीकार है।

मांगीलाल

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.**

Case No .1018/2022
Summary No ...451/2022

----- अभियोगी

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़
बनाम

----- अभियुक्त

मांगीलाल पिता बापुलाल डांगी

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 18.10.2022 को घोषित)

01. स्वैच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा **36(क)** मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों में नशा करने एवं ढ़ाबे पर बिठाकर शराब पिलाने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 36(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

स्थान :– नारायणगढ़
दिनांक :– 18.10.2022

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ़ जिला मंदसौर (म. प्र.)